[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART- II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)] GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Notification

New Delhi, the? 1 .- .. 2011

G.S.R. ----- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2), (3), (5) and (8) of section 25 and sub-section (2) of section 609 read with sections 610A, 610B and 610E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Companies Regulations, 1956, namely:-

- (1) These regulations may be called the Companies (Amendment) Regulations, 2011.
 - (2) They shall come into force with effect from 25.9.2011.
- 2. In the Companies Regulation, 1956, in Regulation 17 (hereinafter referred to as the principal regulations),-
 - (a) For sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"Except as otherwise provided in the Act, the Registrar shall not keep any document pending for approval and registration or for taking on record or for rejection or otherwise for more than sixty days, from the date of its filing excluding the cases where approval from the Central Government or Regional Director or Company Law Board or Court or any other competent authority is required.";

(b) sub-regulation (8) shall be omitted.

[F.No 2/13/2011-CL V]

Renuka Kumar Joint Secretary Note: The principal regulations were published in the Gazette of India vide SRO 432B, dated the 18th February, 1956 and last amended by GSR 453 (E), dated the 14th June, 2011

|भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-2 खण्ड-3, उप खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ | भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख. 22.9.20!!

अधिसूचना

- 1. (1) इन विनियम का संक्षिप्त नाम कम्पनी (संशोधन) विनियम, 2011 है।
 - (2) ये <u>25-9-201</u> से प्रवृत होंगे।
- 2. कम्पनी विनियमन, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 17 में,
- (क) उपविनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा अर्थात्:-

"अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदन और रजिस्ट्रीकरण या अभिलेख पर लेने या अस्वीकृत करने अथवा उससे अन्यथा के लिए किसी दस्तावेज को, उसे फाइल करने की तारीख से 60 दिन से अधिक तक लंबित नहीं रखा जाएगा, सिवाय उस दशा को छोड़कर जिनमें केन्द्रीय सरकार या प्रादेशिक निदेशक या कम्पनी विधि बोर्ड या न्यायालय या किसी अन्य समक्ष प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित है ।";

(ख) उपं विनियम (8) का लोप किया जाएगा ।

[फा.सं. 2/13/2011-सीएल-V]

र्जुन कुम्स् (रेणुका कुमार) संयुक्त सचिव

टिप्पणीः मूल विनियम भारत के राजपत्र में तारीख 18 फरवरी. 1956 को का.नि.आ. 432ख द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 453(अ) तारीख 14 जून, 2011 द्वारा अन्तिम संशोधन किया गया ।